राजस्थान सरकार

मत्स्य पालन की रोजगारोन्मुखी मुख्य जन कल्याण योजनाऐं

(प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना)

निदेशालय मत्स्य, राजस्थान
पशुधन भवन, टोंक रोड,
जयपुर–302015

विभागीय वेबसाईट **http://www.fisheries.rajasthan.gov.in/**

दूरभाष नं. 0141–2742548, 2743347

राजस्थान सरकार
मत्स्य विभाग
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

वर्ष 2020–21 से भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना लागू कर राज्यों में मत्स्य एवं जलकृषि विकास को प्रोत्साहित किया है। इसमें भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित नीली क्रांति योजना को इस योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि का वहन 60:40 व 50:50 केन्द्र व राज्य अंश के रूप में स्वीकृत है, मुख्य योजनाएं निम्नानुसार हैं :–

(I) अंतर्देशीय मत्स्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता

1. **मछली पालन हेतु निजी जमीन पर तालाब का निर्माण :–**
   निजी जमीन पर मत्स्य पालन हेतु तालाब निर्माण, जल व्यवस्था हेतु निर्माण एवं फीड भण्डारण निर्माण के लिए रूपये 7,00,000/– इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत (रूपये 2,80,000/–) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत (रूपये 4,20,000/–) का अनुदान देय है।

2. **मछली पालन पर प्रथम वर्ष में होने वाले उपादान पर खर्च :–**
   मत्स्य कृषकों को नये तालाब निर्माण/जीर्णोद्धार तालाब/पोखर में मत्स्य पालन हेतु प्रथम वर्ष में उपादान के रूप में मत्स्य बीज, फीड आदि क्रय हेतु प्रति हैक्टर रूपये 4,00,000/– इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत (रूपये 1,60,000/–) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत (रूपये 2,40,000/–) का अनुदान देय है।

3. **खारे पानी में झींगा पालन हेतु तालाब का निर्माण :–**
   निजी जमीन पर झींगा पालन हेतु तालाब निर्माण, जल व्यवस्था हेतु निर्माण एवं फीड भण्डारण निर्माण के लिए रूपये 8,00,000/– इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत (रूपये 3,20,000/–) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत (रूपये 4,80,000/–) का अनुदान देय है।

4 **खारे पानी में झींगा पालन पर प्रथम वर्ष में होने वाले उपादान पर खर्च :–**
   मत्स्य कृषकों को नये तालाब निर्माण/जीर्णोद्धार तालाब/पोखर में मत्स्य पालन हेतु प्रथम वर्ष में उपादान के रूप में मत्स्य बीज, फीड आदि क्रय हेतु प्रति हैक्टर रूपये 6,00,000/– इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत (रूपये 2,40,000/–) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत (रूपये 3,60,000/–) का अनुदान देय है।

5. **मत्स्य बीज हैचरी की स्थापना :–**
   निजी क्षेत्र में 2 हैक्टर में 10 मिलियन फ्राई मत्स्य बीज उत्पादन क्षमता की भारतीय मेजर कार्प मत्स्य बीज हैचरी निर्माण हेतु रूपये 25,00,000/– इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत (रूपये 10,00,000/–) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत (रूपये 15,00,000/–) का अनुदान देय है।

6. मछली पकड़ने के शिल्प एवं साज सामान/नाव के क्रय हेतु

नाव, मछली के जाल, मछली व बर्फ रखने के बॉक्स आदि के क्रय हेतु रूपये 5,00,000/- इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत (रूपये 2,00,000/-) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत (रूपये 3,00,000/-) का अनुदान देय है।

7. रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS) :-

निजी क्षेत्र में **रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS) द्वारा** 1 से 8 टैंक में मछली पालन हेतु इकाई लागत अनुसार सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत का अनुदान देय है।

8. फिश फीड इकाई की स्थापना :-

निजी क्षेत्र में 2 से 100 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाली फिश फीड इकाई की स्थापना हेतु इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत का अनुदान देय है।

9. जलाशयों में मत्स्य फिंगरलिंग संचयः-

मत्स्य विकास हेतु जलाशयों में मत्स्य फिंगरलिंग संचय किये जाने हेतु 1,000 फिंगरलिंग प्रति हैक्टेयर की दर से संचय की योजना है जिसके तहत रूपये 3.00 प्रति फिंगरलिंग की इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत का अनुदान देय है।

(II) मत्स्य निकासी पश्चात् रखरखाव एवं परिवहन हेतु मत्स्य आधारित संरचना का विकास

1. आईस प्लान्ट/कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु 10 से 50 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता की इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत का अनुदान देय है।

2. आईस प्लान्ट/कोल्ड स्टोरेज के पुनरूद्धार हेतु रूपये 50,00,000/- इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत (रूपये 20,00,000/-) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत (रूपये 30,00,000/-) का अनुदान देय है।

3. खुदरा मछली बाजार एवं संसाधनों के विकास (सामूहिक कोल्ड स्टोरेज, अपशिष्ट संग्रहण एवं निष्कासन इकाई, मत्स्य की सफाई एवं कटाई की जगह एवं मत्स्य नीलामी की जगह, पानी एवं बिजली की व्यवस्था सहित) हेतु खुदरा दुकानों/बाजार की इकाई हेतु रूपये 100,00,000/- तक इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत (रूपये 40,00,000/-) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत (रूपये 60,00,000/-) का अनुदान देय है।

4. **मोबाईल/खुदरा रंगीन मछली विक्रय केन्द्र कियोस्क की स्थापना :-**

   मत्स्य संग्रहण/प्रदर्शन हेतु कक्ष, कूलर, तौलने की मशीन एवं मछली कटिंग एवं सफाई व्यवस्था हेतु बर्तन एवं सामान सहित रूपये 10,00,000/- की इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत (रूपये 4,00,000/-) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत (रूपये 6,00,000/-) का अनुदान देय है।

5. **प्रशीतित ट्रक के क्रय हेतु :–**
रूपये 25,00,000/– प्रति ट्रक इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत (रूपये 10,00,000/–) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत (रूपये 15,00,000/–) का अनुदान देय है।

6. **इन्स्यूलेटेड ट्रक के क्रय हेतु :–**
रूपये 20,00,000/– प्रति ट्रक इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत (रूपये 8,00,000/–) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत (रूपये 12,00,000/–) का अनुदान देय है।

7. **ऑटोरिक्शा आइस बॉक्स सहित के क्रय हेतु :–**
रूपये 3,00,000/– प्रति ऑटोरिक्शा इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत (रूपये 1,20,000/–) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत (रूपये 1,80,000/–) का अनुदान देय है।

8. **मोटर साईकिल आइस बॉक्स सहित के क्रय हेतु :–**
रूपये 75,000/– प्रति मोटर साईकिल इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत (रूपये 30,000/–) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत (रूपये 45,000/–) का अनुदान देय है।

9. **साईकल आइस बॉक्स सहित :–**
रूपये 10,000/– प्रति साईकल इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत (रूपये 4,000/–) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत (रूपये 6,000/–) का अनुदान देय है।

(III) मछुआरा कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता

1. **सेविंग कम रिलीफ :–**
वर्ष 2016–17 में नीली क्रान्ति–सेन्ट्रल स्कीम के अन्तर्गत सेविंग कम रिलीफ योजना में मत्स्याखेट अवधि में मत्स्य सहकारी समितियों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सक्रिय मछुआरा सदस्यों से 9 माह तक समान किस्तों में रूपये 1500/– एकत्रित किये जाते है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा रूपये 3000/– बराबर अनुपात में सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इस प्रकार कुल एकत्रित राशि रूपये 4500/– को मत्स्य निषेध ऋतु 3 माह में रूपये 1500/– प्रति माह वितरित की जाती है।

2. **मछुआरों का सामूहिक दुर्घटना बीमा :–**
मछुआरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से राज्य के सक्रिय मछुआरों का सामूहिक दुर्घटना बीमा करवाया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मछुआरों से बीमा प्रीमियम की राशि नहीं ली जाती है। राज्य सरकार व केन्द सरकार द्वारा क्रमशः 50:50 के आधार पर बीमा प्रीमियम की राशि का वहन किया जाता है। बीमित मछुआरों की दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई विकलांगता होने पर रूपये 2,00,000/– तथा आंशिक स्थाई विकलांगता पर रूपये 1,00,000/– एवं अस्पताल में भर्ती होने पर रूपये 10,000/– तक की व्यय राशि देय होती है।

(IV) केज कल्चर हेतु अनुदान

जलाशयों एवं अन्य जल स्त्रोतों में केज मय इनपुट लगाने हेतु रूपये 3.00 लाख प्रति केज के इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत का अनुदान देय है।

(V) प्रशिक्षण एवं कौशल विकास

मत्स्य पालन में रूचि रखने वाले व्यक्तियों को विभाग द्वारा मत्स्य–कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद की सहायता से प्रशिक्षण दिया जाता है।

साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत अन्य उपयोजना एन्टरप्रेन्योरशिप मॉडल व फिशरीज इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास योजना (एफ.आई.डी.एफ.) के तहत नवाचार, तकनीकी प्रर्दशन आदि अन्य मत्स्य विकास योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। उक्त सभी मत्स्य योजनाओं हेतु विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर संबंधित मत्स्य जिला कार्यालयों में जमा की जा सकेगी। इस संबंध में अधिक जानकारी संबंधित जिला मत्स्य कार्यालयों से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, मत्स्य क्षेत्र के विकास की योजनाओं की जानकारी निम्न वेबसाईटों पर भी उपलब्ध हैः–

विभागीय वेबसाईट *http://www.fisheries.rajasthan.gov.in/* ,
भारत सरकार की वेबसाईट *http://www.dof.gov.in/* ,
राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद की वेबसाईट *http://www.nfdb.gov.in/*